रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 1994/फाल्गुन 13, 1915
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 1994/PHALGUNA 13, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1994

सं. 65/94-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 296 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 76/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम संख्या 1, 3, 4 तथा 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. बी.-40/2/94-टी.आर.यू.]

सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1994

No. 65/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 76/86-Central Excises, dated the 10th February, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, Serial Numbers 1, 3, 4 and 19 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. B40/2/94-TRU]

SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994